

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना-कुचामन)

प्रतिवादीगण

दी

गाराम पुत्र पनाराम जाति कुम्हार
वासी- लिचाणा तहसील नावां
रम प्रकरण : 183 आरटीए 1955

बनाम

गोविन्दराम पुत्र हुक्माराम जाति कुम्हार
निवासी लिचाणा तहसील नावां
प्रकरण सं. 298 / 2025

तारिख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये।
------------	--------------------------------	--

03.12.2025 वादी की ओर से यह वाद पत्र अधिवक्ता श्री आनन्दी लाल कुमावत ने अधीन धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश की है। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाता है। प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब हो। मिसल दिनांक 19.01.2025 को पेश हो।

(दिव्या सोनी)

उपखण्ड अधिकारी, नावां

19/1/26

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप.पीठासीन
अधिवक्ता को राजकीय कार्य से बाहर
बधारे हे पत्रावली दिनांक 27/2/26
को पेश हो

27/2/26

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप.पीठासीन
अधिवक्ता को राजकीय कार्य से बाहर
बधारे हे पत्रावली दिनांक 29/4/26
को पेश हो

29/4/26

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी गैर हाजिर। जावाजे
प्राप्त गई। परन्तु अई अधिवक्ता/पक्षकार हाजिर
नहीं जाये। अतः आवजूद तारीख पक्षी सूचना
व पक्षरग में जावाजे जागन पर भी जैद
हाजिर रहे। अतः वाद अथम अद्य 183 र.ग.म.म
प्रभावी देखी कि अगल में अदम हाजरी नं अदम
देखी में जारी किया जाता है। मिसल अदन
गामा हे अय छोटा दायिज दफ्त है।

(दिव्या सोनी)

उपखण्ड अधिकारी
नावां